(घ) पुरस्तनी किसानों और औकिया फार्म हाउस मालिकों के अलग-अलग नाम क्या हैं ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

शहरों के निकट फार्म हाउस बनाये जाना

1701. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रेणी "क" और "ख" के अन्तर्गत आने वाले उन शहरों के नाम क्या हैं जहां 30 किलोमीटर की परिधि के भीतर फार्म हाउस बनाये गये हैं;

(ख) फार्म हाउस के कुल क्षेत्र में से ऐसी भूमि का क्षेत्रफल कितना है जिस पर भवनों या गैर कृषि संरचनाओं का निर्माण किया गया है और उस भूमि का क्षेत्र कितना है जिसका उपयोग कृषि-उत्पादन के लिये किया जा रहा है;

(ग) क्या निर्धारित क्षेत्र पर आवासीय परिसरों और गैर-कृषि संरचनाओं का निर्माण नियमों के अनुसार किया गया है और यदि नहीं, तो क्या नियमों का उल्लंघन करने वाले फार्म हाउस के मालिकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : : (क) से (घ) 'शहरी (नगर) विकास' और "नगर नियोजन" अतः राज्य का विषय है और राज्य सरकारें स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, भू-उपयोग प्लान, मास्टर प्लान तैयार करती है । अतः शहरों के भीतर बाहर भूमि अथवा फार्म हाउसों से संबंधित नियम विभिन्न राजकीय अधिनियमों से शासित होते हैं । शहरी क्षेत्रों में बढ़ती हुई आबादी के साथ कुछ कृषि भूमि का शहरी उपयोग कुछ हद तक परिवर्तन आवश्यक है । चूंकि कृषि भूमि का उपयोग भूमि सुधार अधिनियम के तहत राज्यों द्वारा शासित होता है जिसमें गैर-कृषि उपयोगों के लिये भूमि के परिवर्तन/स्थानांतरण हेतु प्रावधान होते हैं । अतः ऐसे क्षेत्र को जब कोई भूमि मास्टर प्लान में कृषि उपयोग के लिये अंकित होने पर उसे संगत नगर नियोजन/मास्टर प्लान विनियमों में विहित कानूनी प्रक्रिया को अपनाये बिना, कृषि इतर कार्यों के लिये तबदील नहीं किया जा सकता । स्थितियां राज्य-दर राज्य और शहर दर-शहर भिन्न-भिन्न होंगी । विषयगत मामला पूर्णतः राज्य सरकारों के दायरे में होने से भारत सरकार द्वारा ऐसी सूचना एकत्र नहीं की जाती ।

दिल्ली में भूमि की बढ़ती कीमतें

1702. **श्री अजीत जोगी :**

श्री राजगोपाल यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भूमि की कीमत में वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कीमत को कम करने अथवा कम से कम तीन वर्षों तक कीमत पर नियंत्रण रखने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) तथा (ख) जी, हां । भूमि अधिग्रहण लागत जमा भूमि की विकास लागत में वृद्धि हो जाने के

कारण दरें संशोधित की जाती हैं। वृद्धि इस प्रकार है:—

कालोनी	श्रेणी	दरें	
		1992–93	1993–94
1. द्वारका	सी.जी.एच.एस.	1650.65	1861.65
	वैकल्पिक प्लाट आवास योजनाएं	1650.65	1845.90
	एम.एफ.एस.	1375.54	1554.37
	एल.आई.जी.	825.32	930.85
	ई डब्ल्यू एस	550.00	620.55
	औद्योगिक	1375.54	2156.17
		(आन्तरिक विकास को छोड़कर)	(आन्तरिक विकास सहित)
	जे० जे० आर०		
	(आन्तरिक विकास को छोड़कर)	550.22	620.55
2. रोहिणी			
फेज–III	वैकल्पिक प्लाट	1650.65 (अधिसूचना के लिए अनुमोदित)	1806.26
	एम.आई.जी. आवास	1380.00	1501.95
	एल.आई.जी. आवास	830.00	901.17
	जे.जे.आर.	—	600.78

(ग) सरकार प्लाट अथवा बने बनाये फ्लैट कतिपय सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किये गये मूल्यों पर उपलब्ध करती है और इस प्रकार साधारणतः कुछ हद तक भूमि मूल्यों पर नियंत्रण होता है।

नेहरू रोजगार योजना का क्रियान्वयन

1703. **श्री अजीतजोगी :**

श्री रामगोपाल यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के शुरू होने से लेकर अब तक के इसके कार्यान्वयन का विश्लेषण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, विशेष रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में, ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) नेहरू रोजगार योजना शहरी क्षेत्रों में रहनेवाले अल्प-रोजगार तथा बेरोजगार निर्धनों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने हेतु तैयार की गई है। यह रोजगार दो प्रकार का है :—एक, स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना से संबंधित है तथा दूसरा, शहरी स्थानीय निकायों के